

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

पटना-15, दिनांक 11/4/18.....

विषय:— बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए महिला अभ्यर्थियों हेतु निर्धारित परीक्षा-शुल्क की स्वीकृति।

राज्य सरकार ने राज्य की लड़कियों में शिक्षा के प्रसार एवं राज्य के महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अधिक अवसर प्रदान करने के लिए बिहार लोक सेवा आयोग एवं बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगिता-परीक्षाओं के लिए पूर्व से निर्धारित परीक्षा-शुल्क की दर को संशोधित करते हुए निम्नवत् निर्धारित करने का निर्णय लिया है :-

क्रमांक	उम्मीदवारों की कोटि	निर्धारित परीक्षा-शुल्क	
		प्रारंभिक-परीक्षा	मुख्य-परीक्षा
1	सामान्य वर्ग/पिछडा वर्ग एवं अत्यन्त पिछडा वर्ग	रु. 600/-	रु. 750/-
2	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (बिहार राज्य के स्थायी निवासी)	रु. 150/-	रु. 200/-
3	राज्य की स्थायी निवासी सभी (आरक्षित/अनारक्षित वर्ग की) महिला उम्मीदवार	रु. 150/-	रु. 200/-
4	राज्य के बाहर के उम्मीदवार चाहे वे किसी वर्ग के महिला/पुरुष हों	रु. 600/-	रु. 750/-

आदेश—आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय और इसकी प्रतिलिपि महालेखाकार, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ भेजी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेंद्र राम)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक—21/आयोग-विविध-02/2018 सा0प्र0 4848/पटना-15, दिनांक 11/4/18

प्रतिलिपि:— वित्त विभाग, (ई-गजट शाखा) को सी.डी.सहित बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ एवं इसकी 50 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/आयोग-विविध-02/2018 सा0प्र0.4848/पटना-15, दिनांक 11.4.18

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्य सरकार के सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक-21/आयोग-विविध-02/2018 सा0प्र0.4848/पटना-15, दिनांक 11.4.18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना को सामान्य प्रशासन विभाग के संलेख ज्ञापांक 4265 दिनांक 02.04.2018 में दिये गये प्रस्ताव को दिनांक 06.04.2018 को संपन्न मंत्रिपरिषद् की बैठक में मद संख्या-11 के रूप में सम्मिलित किये जाने एवं दी गयी स्वीकृति के आलोक में/आई. टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।